

18/3/2021

13

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित।
अप्रार्थी सं- 01 की ओर से ना ही वकील
उपस्थित ना ही अप्रार्थी सं-01 स्वयं
उपस्थित। अतः अप्रार्थी सं. 01 के विरुद्ध
एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती
है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई।
पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का
अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया
मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण
के पक्ष में बनता है। अतः चक्र 15868
मु. नं. 38, प. नं. 176/403, कि. नं. 1 ता
12 का 3.036 है एवं मु. नं. 38, प. नं.
176/403, कि. नं. 13 ता 19 का 1.771 है।
की वादग्रस्त भूमि के संबंध में प्रार्थीगण
के एक-हिस्से अर्थात् 2/3 भाग पर वादपत्र
के अंतिम निस्तारण तक इस आशय की
अस्थाई निवेद्याना जारी हो कि अप्रार्थीगण।

आदेश या कार्यवाही हस्ताक्षर सहित

वादाग्रस्त भूमि के 43 हिस्से को रहन-बैय या
अन्यप्रकार से अंतरित करने से बाध एवं
ममनू रहे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फंसल
शुमार होकर पारिवल-पफतर हो।

Punjab
उप जिला कलेक्टर
श्री। वजयनगर